-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में एएचटीयू और साथी संस्था उ0प्र0 के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन।**
- **कार्यशाला में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा, मानव तस्करी, बालश्रम, बाल विवाह, बन्धुवा मजदूरी आदि के संबंध में की गई चर्चा।**

विवरण- आज दिनांक 20.03.2025 को पुलिस लाइन सभागार बांदा में थाना मानव तस्करी निरोधी इकाई (Anti-Human Trafficking Unit-AHTU) एवं साथी उ0प्र0 संस्था द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज को साथी संस्था उ0प्र0 द्वारा संविधान की उद्देशियका देकर सम्मानित करके किया गया। कार्यशाला में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा/अपराधों से संरक्षण, मानव तस्करी, बालश्रम, बाल विवाह, बन्धुवा मजदूरी आदि के सम्बन्ध बने कानूनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही MRC(Migrants Resilience Collaborative) जिसमें प्रवासी मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सुरक्षित पलायन एवं बच्चों के संरक्षण आदि के बारे में चर्चा कर इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के जागरुकता कार्यक्रमों को चलाये जाने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के संबंध में भी चर्चा की गई। कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी, थाना एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सविता श्रीवास्तव, जिला समन्वयक साथी संस्था उ0प्र0 श्री जितेन्द्र कुमार सहित समस्त थानों से प्रशिक्षु महिला उप-निरीक्षक, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, वन स्टॉप सेन्टर, विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit-SJPU) एवं अन्य सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।